भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-819

उत्तर देने की तारीख- 14/12/2022

शहरी नियोजन के लिए उत्कृष्टता केंद्र

819 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने मौजूदा संस्थानों में शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान विकसित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र अभिहित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य में किसी संस्थान को अभिहित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (घ): केंद्रीय बजट 2022-23 भाषण में, यह घोषणा की गई है कि 'शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान को विकसित करने और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण देने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा'। इस संबंध में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने विभिन्न क्षेत्रों में

शहरी नियोजन और डिजाइन में ज्ञान प्रदान करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में पांच शैक्षणिक संस्थानों की पहचान करने, उन्हें उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित करने की प्रक्रिया शुरू की।

सीओई के रूप में संस्थानों की पहचान करने और नामित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय), नीति आयोग और प्रमुख डोमेन विशेषज्ञों के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है।

इन संस्थानों में से सीओई की पहचान और बाद में नामित करने के लिए शहरी नियोजन के शैक्षणिक संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए, प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

****